

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: लेखा-12(प्रोग्राम)/आं.जां./2023/
दिनांक:

—:आन्तरिक अंकेक्षण संशोधन कार्यक्रम आदेश:—

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक लेखा-12 (प्रोग्राम) आ. जाँच कार्यक्रम/2023-24/
3934 दिनांक 28.06.2023 में निम्नानुसार आर्थिक संशोधन किया जाता है।

क्र० सं०	कार्यक्रम में गठित जाँच दल	कार्यालय जिसका अंकेक्षण किया जाना है।	डीडीओ कोड	आदेशित अंकेक्षण लेखावधि	पूर्व में निर्धारित अंकेक्षण तिथि	अंकेक्षण हेतु संशोधित तिथि
6.	श्री रामचरण कुम्हार AAO-I मो० 8440840351 श्री महेन्द्र चौहान AAO-II जोन-जोधपुर	बीसीएमओ भ.सर, गंडकिया वित्त डुगड़	22719	04/16 से 03/23	21.07.23 से 23.08.23	02.08.23 से 08.09.23
		सीएवसी देलगाड़ा (राजसमन्)	23443	04/15 से 03/23	24.08.23 से 16.09.23	11.09.23 से 30.09.23

उपरोक्त विवरण के अनुसार निर्देशित किया जाता है कि आं.जां.द. 06 अंकेक्षण अवधि उपरोक्तानुसार संस्थाओं का अंकेक्षण कार्य निर्धारित समय में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

Sd
वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर
दिनांक: 13/9/23

क्रमांक: लेखा-12(प्रोग्राम)/आं.जां./2023/5321-24

प्रतिलिपि:—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित है।

- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-जोधपुर।
- श्री रामचरण कुम्हार AAO-I एवं श्री महेन्द्र चौहान, AAO-II जोन-जोधपुर को पालनार्थ।
- प्रभारी सर्वर रूम को दी जावक लेख है कि इस आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करे।

उप वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर